नियमित टीकाकरण कार्यक्रम

As on Report January 2016

1.	योजना का	नियमित टीकाकरण कार्यक्रम
2.	संक्षिप्त परिचय	टीकाकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत पोलियो, गलघोंटू, काली खांसी, नवजात शिशुओं में धनुर्वात (टिटेनस), खसरा, बच्चों मे होने वाले गंभीर प्रकार के क्षय रोग, हेपेटाईटिस-बी एवं हिब (हिमोफिलस इनफ्लूयन्जा बी) निमोनिया, मस्तिष्क ज्वर से सुरक्षा प्रदान करने के लिये निवारक टीके लगाये जाते हैं।
3.	प्रारम्भ होने का वर्ष	19 नवम्बर, 1985 हेपेटाइटिस-बी (15 दिसम्बर, 2011 से) पेन्टावेलेन्ट वेक्सीन संपूर्ण राज्य मे 01 नवम्बर, 2014 से
4.	लाभाविन्त वर्ग	1 समस्त गर्भवती महिलायें 2 समस्त 0 से 1 वर्ष के शिशु एवं 1 से 16 वर्ष के बच्चे
5.	पात्रता	गर्भवती महिला एवं शिशु
6.	देय सुविधायें	गर्भवती महिला को - टी.टी के टीके शिशु को - पोलियो, गलघोंटू, काली खांसी, नवजात शिशुओं में धनुर्वात (टिटेनस), खसरा, बच्चों मे होने वाले गंभीर प्रकार के क्षय रोग, हेपेटाईटिस-बी एवं हिब (हिमोफिलस इनफ्लूयन्जा बी) से सुरक्षा प्रदान करने के लिये निवारक टीके एवं विटामिन -ए का घोल
7.	आवेदन का तरीका	इस हेतु किसी प्रकार का कोई आवेदन नहीं किया जाता है। कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदान की जा रही सुविधायें सभी स्वास्थ्य केन्द्रों पर नि:शुल्क उपलब्ध है।
8.	आवेदन कहां किया जावे	यह सुविधा सभी स्वास्थ्य केन्द्रों पर उपलब्ध है।
9.	सम्पर्क सूत्र	ग्राम स्तर पर- आशा सहयोगिनी एवं आंगनबाडी कार्यकर्ता उपकेन्द्र स्तर पर - ए.एन.एम. प्रा0 स्वा0 केन्द्र स्तर पर - चिकित्सा अधिकारी, एल.एच.वी. खण्ड स्तर पर - खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिला स्तर पर - जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी राज्य स्तर पर - परियोजना निदेशक (टीकाकरण) pdimmunization@gmail.com